(परिशिष्ट - 1)

[17/12/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 114]

कार्यालय आयुक्त इंदौर संभाग, इन्दौर

क्रमांक/ /वि-6 / शिकायत /2019 इन्दौर दिनांक . 07.2019

आदेश

श्री अजित चौधरी,सामाजिक आर.टी.आई कार्यकर्ता आंनदी वेल फेयर सोसायटी इंदौर द्वारा धार जिले में अधिकारियों,सदस्यों एवं कम्पनी द्वारा ड्रिप सिंचाई योजना में अनियमितताओ किये जाने संबंधी शिकायत की गई है। उक्त शिकायत की जांच हेतु संभागस्तर से निम्नानुसार जांच दल गठित किया जाता है:-

1. श्री रेवासिंह सिसोदिया संयुक्त संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग इंदौर संभाग इंदौर
2. श्री मती चेतना फौजदार, संयुक्त आयुक्त (विकास) आयुक्त कार्यालय इंदौर संभाग इंदौर
3. श्री प्रताप सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय जिला धार

712
27.7.19

उक्त दल शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की सुक्ष्म जांच कर बिन्दुवार जांच कर संयुक्त प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करेगे।

30/7/2019

संलग्न:- शिकायत की प्रति

आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित

(चेतना फौजदार)
संयुक्त आयुक्त (विकास)
वास्ते- आयुक्त
इन्दौर संभाग इन्दौर

क्रमांक/ 1899/वि-6/शिकायत/ 2019 इन्दौर दिनांक 22.07.2019

प्रतिलिपि :-

1 कलेक्टर जिला धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2 संयुक्त संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग इंदौर संभाग इंदौर।
3 मुख्य कार्यपालनअधिकारी जिला पंचायत धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4 श्रीमती चेतना फौजदार,संयुक्त आयुक्त(विकास)इंदौर संभाग इंदौर की ओर पालनार्थ।
5 श्री रेवासिंह सिसोदिया संयुक्त संचालक,किसान कल्याण एवं कृषि विभाग इंदौर संभाग इंदौर की ओर पालनार्थ।
6 श्री प्रताप सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालयजिला धार की ओर पालनार्थ।
7 उपसंचालक, उधानिकीय जिला धार ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8 निज सहायक, आयुक्त कार्यालय इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ।

(5)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

संयुक्त आयुक्त (विकास)
वास्ते- आयुक्त

कार्यालय, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

मोती बंगला, महात्मा गाँधी मार्ग, इन्दौर–452007

दूरभाष : कार्या. - 0731-2435111, 2535222 (नि.) 2700888 फेक्स: 0731-2539552

email: commindore@nic.in / commindore@gmail.com

क्रमांक 2842/V-6/अं./19 इन्दौर, दिनांक 24/10/2019

25257/CMS/ABR/19
14/11/19

प्रति,

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कार्यालय
म.प्र. शासन भोपाल।

विषय:- प्रदेश में उदयानिकी विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (ड्रिप इरीगेशन) के अंतर्गत हुए भ्रष्टाचार की जांच बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2274/CMS/ABR/19 भोपाल दिनांक 25.09.2019।

-----00-----

उपरोक्त विषयार्गत संदर्भित पत्र के साथ माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण, पार्यावरण विभाग के संलग्न पत्र में लेख किया है कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 मे प्रदेश में उदयानिकी विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (ड्रिप इरीगेशन) के अंतर्गत धार जिले में स्थानीय अधिकारियों एवं कम्पनियों की मिलीभगत से बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार कर शासन को एवं हितग्राहियों को आर्थिक क्षति पहुंचाई जाने संबंधी शिकायत की जांच के निर्देश दिये गये है।

उक्त संदर्भ में उल्लेख है कि कलेक्टर धार द्वारा वर्ष 2018-19 के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करावाया जाकर प्रतिवेदन आयुक्त उदयानिकी भोपाल को प्रेषित किया गया है। प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न है।

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की जांच हेतु संभागस्तर से संयुक्त संचालक,किसान कल्याण एवं कृषि विभाग इंदौर, संयुक्त आयुक्त(विकास) आयुक्त कार्यालय इंदौर एवं डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय जिला धार का तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाकर जांच प्रारंभ कर दी गई है।

संदर्भित पत्र के क्रम में अंतरिम प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
इन्दौर संभाग इन्दौर

Horticulture

4 NOV 2019

DS

उप संचालक उद्यान
...संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

सत्यापित

...अधिकारी